रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

अपील के लिए विशेष अनुमति (सिविल) 2012 की सं. 38040-38041

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी राजस्थान और अन्य

... याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य ... प्रतिवादी

साथ में

एसएलपी (सी) संख्या 38332-38333/2012

निर्णय

मदन बी. लोकुर, न्ययाधीश

1. ये याचिकाएं इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे कुछ हित कानून के शासन को विफल कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। याचिकाकर्ता, प्रकट रूप से, बहुत से अन्य अन्य लोगों के साथ मिलकर जयपुर शहर

में पानी की कमी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं, और यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 1982 में आयोजित एशियाई खेलों में प्रसिद्ध हुई रामगढ़ झील अब पूरी तरह सूख जाए और रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से बेकार हो जाएं। यह बड़े पैमाने पर एक त्रासदी है और दुर्भाग्य से न तो राजस्थान राज्य और न ही जयपुर विकास प्राधिकरण ने ठोस उपचारात्मक कार्रवाई करना उचित समझा है। वो इस तरह जयपुर शहर के निवासियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि सत्ता जिम्मेदारी के साथ आती है और ऐसा ही राज्य और प्राधिकारियों तथा याचिकाकर्ता के साथ भी होना चाहिए, विशेष रूप से जब यह लोगों के हितों से संबंधित हो।

2. इन याचिकाओं की उत्पत्ति अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य (*2003कीडीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 1536 जिसमें 2 अगस्त 2004 को निर्णय लिया गया।*) वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से हुई पाई जाती है। इस निर्णय में, उच्च न्यायालय ने निर्देशों की शृंखला द्वारा, रामगढ़ बांध (जयपुर के पास) के जलग्रहण क्षेत्रों में और ताला नदी और बाणगंगा नदी के द्वारा पानी का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने का प्रयास किया। ये निर्देश एक जनहित याचिका के निष्कर्ष थे, जिसमें एक सार्वजनिक रूप से उत्साही व्यक्ति ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उचित और स्वस्थ वातावरण के

लिए राजस्थान में कुंडों और तालाबों की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, ताकि लोग गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद ले सकें, जो संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिक के प्रत्याभूत अधिकार का सार है।

3. रामगढ़ बांध का क्या महत्व है? बांध का निर्माण 1903 में लगभग 769.20 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र में किया गया था जो चार तहसीलों-जमवारामगढ़, आमेर, शाहपुरा और विराटनगर में फैला हुआ है।1978 तक बांध द्वारा उपयोग किया जाने वाला पानी सिंचाई का स्रोत था। इसके बाद यह जयपुर शहर के लिए पीने के पानी का एक स्रोत बन गया। 1982 में भारत में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान रामगढ़ झील खेलों की मुख्य विशेषताओं में से एक थी और झील में जल खेलों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। दुर्भाग्य से, आज यह झील सूखी है और राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की चूक-और-कृत्यके कारण इसका अत्यधिक अतिक्रमण किया गया है। सबसे बुरी बात यह है कि झील सूखने और जलग्रहण क्षेत्रों जल रहित होने से जयपुर शहर को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

4. इन जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए और अब्दुल रहमान द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई 2003 को एक आदेश पारित किया,

जिसमें राज्य सरकार को रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्रों के उन इलाकों की पहचान करने के लिए एक सामान्य सर्वेक्षण करने की हिदायत दी थी जिनका निर्माण और खनन उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया था। यह उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण और खनन उद्देश्यों के लिए जलग्रहण क्षेत्रों के अंधाधुंध गलत उपयोग के रूप में देखने के संदर्भ में था, जिसने मानसून के मौसम के दौरान भी झीलों, जलाशयों, नदियों, तालाबों आदि को पानी प्राप्त नहीं होता था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य निर्माण, खनन और अन्य उद्देश्यों के लिए जलग्रहण क्षेत्रों के उपयोग के प्रभाव का अध्ययन करना भी था। राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल आकार और उपयोग में बहाल करने के लिए उपाय सुझाए।

5. 18 जुलाई, 2003 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में, राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसने एक रिपोर्ट दी, जो बहुत दुखद है। हालांकि, विशेषज्ञ समिति ने जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल आकार और उपयोग में बहाल करने के लिए 15 मूल्यवान सुझाव भी दिए। उच्च न्यायालय ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने और जलग्रहण क्षेत्रों को बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। सुझावों

को ठोस और सकारात्मक रूप देने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया गया।

6. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अब्दुल रहमान के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय और निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया और गतिविधियां पहले की तरह जारी रही।

स्वतः संज्ञान की कार्यवाही

7. इन परिस्थितियों में, रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा में राज्य सरकार द्वारा किसी भी सकारात्मक और दृश्यमान कार्रवाई की कमी के कारण, राजस्थान उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश को स्वप्रेरणा संज्ञान बनाम राजस्थान राज्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 11153/2011 के रूप में पंजीकृत) शीर्षक से स्वप्रेरणा संज्ञान लेने के लिए राजी किया गया।

8. 23 अगस्त 2011 को विद्वत एकल न्यायाधीश ने ध्यान दिया किया कि रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्रों को राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण आवश्यक महत्व नहीं दिया जा रहा था। विद्वत न्यायाधीश ने यह भी ध्यान दिया कि अब्दुल रहमान मामले में जारी किए गए निर्देशों को लागू करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था विशेष रूप से रामगढ़ बांध के संदर्भ में और राज्य सरकार की ओर से आवश्यक उपाय करने में इच्छा की

कमी थी। तदनुसार, विद्वान न्यायाधीश ने महसूस किया कि राजस्थान में जल संसाधनों को बचाने के लिए और शुरुआत में रामगढ़ बांध के संदर्भ में कुछ निगरानी कार्रवाई की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने अब्दुल रहमान के मामले में निर्णय के संदर्भ में रामगढ़ बांध से संबंधित निर्देशों को लागू करने के लिए दो सदस्यीय निगरानी समिति नियुक्त की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 23 अगस्त 2011 को कुछ निर्देश भी दिए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैंः

> "(i) राजस्व, वन, सिंचाई, पीएचईडी, पर्यावरण, खनन, पंचायती राज जैसे वर्तमान मामले में शामिल सभी विभागों को उपरोक्त चार तहसीलों में अपवाह तन्त्र, नहरों,नालों, नदियों आदि में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।
>
> (ii) राज्य सरकार रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण और निर्माण को रोकेगी।
>
> (iii) XXX XXX XXX

(iv) राज्य सरकार अतिक्रमण हटाने की योजना लाएगी ताकि 15.08.1947 को मौजूद स्थिति को बहाल किया जा सके।

XXX XXX XXX"

9. स्वतः संज्ञान याचिका में कार्यवाहियों का परिशीलन इंगित करता है कि निगरानी समिति ने काफी प्रयास किए और अपने प्रतिवेदनों द्वारा बहुमूल्य इनपुट दिए। विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर अपनी मजमून दलीलों में, यह संज्ञान लिया गया कि पानी की कमी की समस्या है औरयहां तक कि रामगढ़ बांध, जिसे जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति का एकमात्र जलाशय माना जाता था, अतिक्रमण और बाधाओं के कारण सूख गया था। जमीन कब्जाने वालों, प्रॉपर्टी डीलरों, निर्माण और फार्म हाउस, क्लब हाउस, रिसॉर्ट आदि के कारण बांध को पानी नहीं मिल पा रहा था।

10. अपने मजमून प्रतिवेदन में, निगरानी समिति ने ध्यान दिया कि हमारे समक्ष याचियों ने रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निगरानी समिति की रिपोर्ट और निवेदनों पर ध्यान देते हुए29 मई 2012 को एक अंतिम आदेश पारित किया जिसमें इस उम्मीद और आशा के साथ निर्देशों की

एक श्रृंखला दी गई कि निर्देश केवल कागज पर नहीं रहेंगे बल्कि वास्तविकता में लागू होंगे।

उपचारात्मक उपाय

11. पिछले 15 वर्षों की घटनाओं से इंगित होता है कि अब्दुल रहमान मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा किए गए प्रयासों और स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाहियों में एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रयासों से शायद ही कोई सकारात्मक परिणाम आए हैं, कम से कम जहां तक उनका संबंध याचिकाकर्ता, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय या निम्स से है।

12. तथापि, निम्स से संबंधित उपायों का ब्यौरा देने से पूर्व, यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने जुलाई, 2012, में एक प्रारंभिक कार्य योजना तैयार की थी, जिसके पश्चात् 9 जनवरी, 2013 को एक तकनीकी समिति द्वारा औसत और औसत से अधिक वर्षा के बावजूद रामगढ़ बांध (जिला जयपुर) में कम/ शून्य प्रवाह होने, और अंतर्वाह को बहाल करने के लिए उपचारात्मक उपाय पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी।

13. इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, हमने विद्वान अधिवक्ता से पूछा था कि क्या रामगढ़ झील में कोई पानी है, लेकिन हमें बताया गया कि यह अभी भी बिलकुल सूखी है। इसलिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि

प्रारंभिक कार्य योजना और तकनीकी समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश की अपेक्षाएं और आशा कि दिये गए निर्देश, कार्य योजना और उपचारात्मक उपाय केवल कागज पर नहीं रहेंगे, बल्कि वास्तव में लागू किए जाएंगे, इनकी पूरी तरह से अवहेलना हुई है । यह दुख की बात है।

निम्स से संबंधित तथ्य

14. याचिकाकर्ता एक विश्वविद्यालय है और संभवतः यह कुछ प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी वाला विश्वविद्यालय है। इसने 10 मई, 2002 को जयपुर के जिला कलेक्टर को जिला जयपुर की तहसील आमेर के गांव जुगलपुर में भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया। हालांकि, आवंटन के लिए आवेदन में खसरा नंबर 526 जिससे हमारा सरोकार है शामिल नहीं था। । निम्स को प्रकट रूप से आवेदन पर कोई जवाब नहीं मिला।

15. कतिपय कारणों से जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, निम्स ने 28 फरवरी, 2005 को राजस्थान के मुख्यमंत्री को खसरा नं. 526 पर कथित रूप से अतिक्रमण करने के आरोपों का खंडन करते हुए, इस आशय का एक पत्र भेजा कि निम्स ने खसरा नं. 526 में रकबा 14.44 हेक्टेयर के आवंटन की मांग की।

16. निम्स के अनुसार, उसने खसरा संख्या 526 के आवंटन के लिए बाद में कई अभ्यावेदन दिए, लेकिन 10 वर्षों तक किसी भी अधिकारी से

कोई जवाब नहीं मिला। इस अवधि के दौरान, निम्स ने माना कि राज्य सरकार की चुप्पी का मतलब है कि उसे आवंटन पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार, इसने विभिन्न खातेदारों से खसरा नंबर 526 सहित भूमि के कई खंड खरीदने का दावा किया और दावा किया कि भूमि का सीमांकन भी राजस्व अधिकारियों द्वारा कर दिया गया था। इस अनुमान पर कि भूमि आवंटन पर कोई आपत्ति नहीं थी, निम्स ने खसरा नं. 526 पर बड़े पैमाने पर निर्माण किया।

17. अंततः और चूंकि किए गए अभ्यावेदनों पर कोई अनुकूल कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए निम्स ने उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1814/ 2012दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि उसके विश्वविद्यालय के लिए खसरा संख्या 526 सहित भूमि के आवंटन के लिए उसके पक्ष में निर्देश जारी किए जाएँ। रिट याचिका उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 1 नवंबर 2012 के एक निर्णय और आदेश के द्वारा खारिज कर दी गई।

18. उस समय, खसरा नं. 526 पर कथित अतिक्रमण के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 72 के तहत 13 फरवरी 2012 को निम्स को एक नोटिस जारी किया गया था।

19. नोटिस से व्यथित महसूस करते हुए, निम्स ने अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील संख्या 37/

2012 दायर की । निम्स को सुनने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने 12 अक्टूबर 2012 को अपने फैसले और आदेश से अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद निम्स ने उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16836/ 2012 दायर की। इस रिट याचिका को एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1814/2012 के साथ जोड़ा गया और 1 नवंबर 2012 को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दोनों को खारिज कर दिया गया।

20. दोनों रिट याचिकाओं के खारिज होने से व्यथित महसूस करते हुए, निम्स ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष विशेष अपील पेश की और इन्हें डी. बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1455-1456/ 2012के रूप में पंजीकृत किया गया। दोनों अपीलों पर खण्ड पीठ द्वारा सुनवाई की गई और 26 नवंबर 2012 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय

21. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अवलोकन इस ओर इंगित करता है कि वास्तव में विवादित भूमि अर्थात् खसरा सं. 526 मूल रूप से राज्य सरकार की है । 1 अक्टूबर 2007 को जारी एक अधिसूचना द्वारा यह तब जयपुर विकास प्राधिकरण के पास थी और इसे जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के भीतर लाया गया

था । इसलिए, 1 अक्टूबर 2007 से ही खसरा नं. 526 वाली भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में थी।

22. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी ध्यान दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण को खसरा संख्या 526 के संदर्भ में माप करने की आवश्यकता हुई और 11 सितंबर 2012 को यह पाया गया कि निम्स ने खसरा संख्या 526 में 8125 वर्ग मीटर भूमि पर ही नहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण किया हुआ था। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, हमारा सरोकार केवल खसरा संख्या 526 से है । जहां तक भूमि आवंटन के लिए निम्स द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर निष्क्रियता का प्रश्न है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि केवल इसलिए कि संबंधित अधिकारियों ने ज्ञापन पर कोई निर्णय नहीं लिया था, निम्स यह मानने का हकदार नहीं हो जाता कि भूमि का कब्जा लेने और उस पर निर्माण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के इस मत में कोई त्रुटि नहीं मिली कि निम्स ने खसरा नं. 526 में 8125 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण किया था और निम्स उस पर कोई भी निर्माण करने का हकदार नहीं था। 1 नवंबर 2012 के निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए विद्वत एकल न्यायाधीश ने जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। तथापि,

यह भी निदेश दिया गया कि ध्वस्त करने की कारवाई 7 नवम्बर, 2012 तक नहीं होगी ।

खण्ड पीठ का निर्णय

23. निम्स ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की। अपीलों पर निर्णय करते समय, खण्ड पीठ ने विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार किया और अपीलों को खारिज कर दिया.

24. खण्ड पीठ के समक्ष, निम्स द्वारा यह प्रतिवाद किया गया कि विवादित भूमि चरागाह भूमि थी और यह राजस्थान भूमि राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य भवनों के निर्माण के लिए खाली-पड़ी सरकारी कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के साथ-साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956, और इसके तहत बनाए गए नियमों सहित स्थानीय कानूनों के तहत निम्स को आवंटित की जा सकती है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निपटान) नियम, 1974,का भी संदर्भ दिया गया। खण्ड पीठ ने इन सभी प्रावधानों पर ध्यान दिया और कहा कि 10 मई 2002 को कलेक्टर को दिए गए अपने प्रारंभिक आवेदन में, खसरा नं. 526 के आवंटन के लिए निम्स द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था। इस तरह का अनुरोध पहली बार निम्स द्वारा 28 फरवरी, 2005 को

राजस्थान के मुख्यमंत्री से किया गया था, न कि संबंधित कलेक्टर से जो ही केवल आवंटन करने के लिए सक्षम थे। खण्ड पीठ ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 का भी हवाला दिया और कहा कि खातेदारी के अधिकार चरागाह भूमि में उपार्जित नहीं हो सकते और इसलिए यह आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है।

25. खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अन्यथा भी, 1 अक्टूबर, 2007 के बाद खसरा संख्या 526 जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गया और इसलिए आवंटन केवल जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54 के संदर्भ में उसी प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है न कि राज्य सरकार द्वारा।

"54. भूमि प्राधिकरण में निहित होगी और उसका निपटान।- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 103 में यथा परिभाषित भूमि को, उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट भूमि,और जयपुर क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन में रखी गई नजूल भूमि के अलावा, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के तुरंत बाद, उस प्राधिकरण के व्ययन के लिए रखा होना और उसमें निहित होना समझा जाएगा, जो राज्य सरकार के लिए और उसकी ओर

से ऐसी भूमि का अधिग्रहण करेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर सकता है,और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित की जाने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए और उस प्रकार से जैसा वह समय-समय पर विहित करें आवंटन, नियमितीकरण या नीलामी के द्वारा उसका व्ययन कर सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण ऐसी किसी भी भूमि का व्ययन कर सकता है-

(क) उस पर कोई विकास किए बिना या

(ख) ऐसा विकास करने या करने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार से, और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अधीन रखते हुए, जो वह योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे।

(2) प्राधिकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के बिना किसी भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा ।

(3) यदि प्राधिकरण में निहित किसी भूमि की नगर निगम, जयपुर द्वारा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी समय आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि को नगर निगम,

जयपुर,या राज्य सरकार के किसी विभाग को ऐसे नियमों और शर्तों पर सौंप सकती है, जो उचित समझी जाये।

(4) प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित और प्राधिकरण को अंतरित सभी भूमि का निपटान प्राधिकरण द्वारा उसी रीति में किया जाएगा जो उपधारा (1) में भूमि के लिए विहित की गई है ।

उच्च न्यायालय ने कहा कि निम्स द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को गांव जुगलपुरा के खसरा नंबर 526 या किसी अन्य खसरा के आवंटन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था।

26. इन परिस्थितियों में, खण्ड पीठ ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि निम्स ने खसरा नं. 526 पर अतिक्रमण किया था और बिना किसी अनुमति या मंजूरी के उस पर निर्माण किया था,और यह कि निम्स द्वारा की गई अवैधता की अनदेखी करना संभव नहीं था।

27. निम्स ने खण्ड पीठ के समक्ष दलील दी कि चूंकि बड़े पैमाने पर निर्माण पहले ही किए जा चुके हैं, इसलिए निर्माण को ध्वस्त करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह निवेदन किया गया कि ध्वस्त करने से किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इस दलील को खण्ड पीठ ने जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य ((2011) 11 एससीसी 396)वाले मामले में इस न्यायालय के उस फैसले पर भरोसा करते हुए अस्वीकार कर दिया जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि

भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है और उस पर निर्माण किया जाता है, तो उस निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए।

28. उच्च न्यायालय ने यह भी विचार व्यक्त किया कि यदि अतिक्रमण को हटाने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो यह दूसरों को भूमि पर अतिक्रमण करने और उस पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण को नियमित करने की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

29. जहां तक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का संबंध है, खण्ड पीठ ने नोट किया कि 11 सितंबर 2012 की रिपोर्ट निर्विवाद थी और इसमें कोई संदेह नहीं था कि निम्स ने खसरा संख्या 526 में 8125 वर्ग मीटर भूमि का अतिक्रमण किया था।

इस न्यायालय में कार्यवाही

30. निम्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया था कि निम्स द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था और वैसे भी जलग्रहण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अतिक्रमण करने वाले हैं । विद्वान अधिवक्ता के अनुसार ऐसा कोई कारण नहीं था कि केवल निम्स को ही प्रतिकूल या दंडात्मक उपचार के लिए चुना जाए। हम विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं।

31. हमारे सामने जो है वह वास्तव में केवल एक तथ्यात्मक विवाद है। निम्स अपीलीय न्यायाधिकरण या विद्वान एकल न्यायाधीश या खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेशों में तथ्यों पर, कोई विकृति नहीं दिखा पाया है।

32. उच्च न्यायालय द्वारा एक तथ्यात्मक निष्कर्ष यह है कि निम्स ने पहली बार खसरा संख्या 526 के आवंटन के लिए 28 फरवरी, 2005 को अनुरोध किया था और वह भी मुख्यमंत्री के समक्ष जो आवंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे- क्योंकि आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी जयपुर जिले के कलेक्टर हैं । निम्स ने मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क क्यों किया, यह एक रहस्य है जिसे केवल निम्स द्वारा ही हल किया जा सकता है।

33. 1 अक्टूबर 2007 के बाद निम्स ने खसरा संख्या 526 के आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण से कोई अनुरोध नहीं किया।

34. यह मानते हुए कि खसरा संख्या 526 के आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण सहित किसी भी प्राधिकरण को निम्स द्वारा दिए गए उस या किसी अन्य अभ्यावेदन पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, निम्स को उस धारणा कि आवंटन के लिए उसके अनुरोध को मुख्यमंत्री या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया (या खारिज नहीं किया गया) के आधार पर बिना किसी

अनुमति या मंजूरी के भूमि पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं था।

35. यह तथ्य भी रिकॉर्ड में आया है कि निम्स ने खसरा संख्या 526 में 8125 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। यह भी रिकॉर्ड पर आया है कि वास्तव में निम्स ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 11 सितंबर 2012 की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी। यह भी रिकॉर्ड पर आया है कि निम्स सहित कई पार्टियों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अवैध और गैर-कानूनी निर्माण के कारण अब रामगढ़ झील पूर्णतया सूख गई है और इस वजह से जयपुर शहर के निवासी पानी की कमी से पीड़ित हैं-क्योंकि इस क्षेत्र के सूखने से पहले जयपुर शहर को इस क्षेत्र पानी की आपूर्ति की जा रही थी। ऐसा कोई कानून नहीं है जो खसरा नंबर 526 पर मनमाने ढंग से अतिक्रमण करने और फिर उस पर बड़े निर्माण करने में निम्स की निर्लज्जता का समर्थन करता हो।

36. निम्स के विद्वत वकील ने हमारे समक्ष कोई कानून या निर्णय आदि नहीं रखा जो खसरा नं. 526 पर निम्स द्वारा अतिक्रमण का समर्थन करे। लेकिन, जयपुर विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ वर्तमान ज्वाला (प्रतिवादी संख्या 2) के एक रिपोर्टर दिनेश कुमार सैनी के वकील ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की

धारा 16 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो चरागाह भूमि में खातेदारी के अधिकारों के उपार्जन पर प्रतिबंध लगाती है।

(16.*जिन भूमि में खातेदारी के अधिकार उपार्जित नहीं होंगे-इस अधिनियम में या किसी अन्य कानून या राज्य के किसी भाग में तत्समय लागू अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी खातेदारी अधिकारों का उपार्जन निम्न में नहीं होगा-*

(i) चरागाहों की भूमि

(ii) (xiv) तक xxx

बशर्ते कि...)

यह निवेदन किया गया कि इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, खसरा नं. 526में भूमि को चरागाह भूमि मानते हुए, निम्स, जैसा कि दावा किया गया है, खातेदारी अधिकारों का अधिग्रहण नहीं कर सकता था।

निष्कर्ष

37. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब्दुल रहमान के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, और स्वप्रेरित याचिका,और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के साथ-

साथ राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के बावजूद पिछले वर्षों में जमीनी स्तर पर कुछ भी ठोस हासिल नहीं किया गया है।

38. इन परिस्थितियों में, हमारे पास याचिकाओं को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि निर्लज्ज अतिक्रमण के लिए प्रति याचिका 10 लाख रुपये के हर्जा खर्चा के साथ खारिज की जाती है। यह राशि निम्स द्वारा छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की जानी चाहिए।

39. हमारी राय में, केवल याचिकाओं को खारिज करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि हमें लगता है कि निम्स एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली और प्रभावशाली इकाई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने कम एक दशक तक इसकी बेदखली और निर्माण को ध्वस्त करने की कारवाई को विफल करने में सफल रहा है। हमारे समक्ष भी स्थगन लेने का प्रयास किया गया था ताकि यह संभवतः किसी पर भी अपने प्रभाव का उपयोग कर कुछ अनुकूल कार्यकारी आदेश प्राप्त कर सके।

40. एम. आई. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राधे श्याम साहू और अन्य ((1999) 6 SCC 464) वाले मामले में इस न्यायालय ने

अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करके कानून के शासन को लागू करने का निर्देश दिया। यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः

> "उच्च न्यायालय ने पूरी परियोजना को ढहाने और पार्क को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह निर्णय दिया है कि जहां निर्माण अनधिकृत है वहां बिल्डर या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई लिहाज़ नहीं किया जाना चाहिए। यह उक्ति अब कानूनके नियम होने की सीमा के करीब पहुंच गई है। अपीलकर्ता और दुकानों के संभावित आवंटियों द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए राहत प्रदान करने पर जोर दिया गया था। ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता जो अवैधता को बढ़ावा देता हो या अवैधता को कायम रखता हो। अनधिकृत निर्माण, यदि अवैध है और उसका शमन नहीं किया जा सकता है, तो उसे ध्वस्त करना होगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। न्यायिक विवेकाधिकार को समीचीनता द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है। अदालतें

सांविधिक बेड़ियों से मुक्त नहीं हैं। न्याय कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों को न्यायिक विवेकाधिकार का जामा पहनकर विवेकाधिकार का प्रयोग करने और केवल अपने व्यक्तिगत झुकवों और विशिष्ट स्वभाव के आधार पर आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। न्यायिक विवेकाधिकार, जहां कहीं भी इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक है, कानून और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि वर्तमान मामले में राहत प्रदान करने और पार्किंग के लिए बने ब्लॉकों में से एक को कायम रहने देने की अनुमति देने में देखा जाएगा, हमने पार्किंग स्थल के निर्माण और रखरखाव के लिए महापालिका के अनिवार्य कर्तव्यों से मार्गदर्शन लिया है ।"

41. इस दृष्टिकोण का अनुसरण और समर्थन **जगपाल सिंह** में निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:

"एम. आई. बिल्डर्स (प्रा.) लि. बनाम राधे श्याम साहू में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक शॉपिंग

कॉम्प्लेक्स को गिराने के बाद एक पार्क की बहाली का आदेश दिया था।

फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा ((2004) 8 SCC 733) मामले में -इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां विधि अस्वीकृत निर्माणों के शमन की अनुज्ञा देती है, वहां भी इस प्रकार का शमन अपवाद के रूप में ही होना चाहिए। हमारी राय में यह निर्णय गांव की साझा भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में और भी अधिक प्रभावी रूप से लागू होगा। आम तौर पर ऐसे मामलों में शमन की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब भूमि भूमिहीन मजदूरों या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को पट्टे पर दी गई हो या जमीन का उपयोग वास्तव में गांव के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो जैसे कि ग्रामीणों के लिए स्कूल चलाना या उनके लिए स्वस्थ्य भवन चलाना।

कई राज्यों में राज्य सरकार द्वारा कुछ धन के भुगतान पर निजी व्यक्तियों और वाणिज्यिक

उद्यमों को ग्राम सभा की भूमि आवंटित करने की अनुमति देने के आदेश जारी किए गए हैं। हमारी राय में ऐसे सभी सरकारी आदेश अवैध हैं और उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए।"

42. इन और अन्य निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को ध्यान में रखते हुए, हम भी खसरा नं. 526 पर निम्स द्वारा या उसकी ओर से अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देते हैं। 30 नवंबर, 2017 को या उससे पहले ध्वस्त करने की कारवाई जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार और जयपुर जिला कलेक्टर की सहायता से की जानी चाहिए। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को ध्वस्त करने की कारवाई की प्रक्रिया में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। ध्वस्त करने की कारवाई और मलबा हटाने का खर्चा निम्स को वहन करना होगा। अनाधिकृत निर्माण या इसे नियमित करने के लिए निम्स द्वारा किया गया कोई भी लंबित आवेदन हमारे निर्णय के मद्देनजर अधिक्रमित हो जाता है।

43. हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुल्लंघनीय समयबद्ध निर्देश दे रहे हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्स द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए केवल 7 दिनों के लिए अंतरिम राहत प्रदान करना उचित समझा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी

राय है कि उचित समय पर जयपुर शहर को पानी उपलब्ध कराने की संभावना निम्स और उससे जुड़े लोगों के हितों से कहीं अधिक प्राथमिकता लेती है।

44. याचिकाएं उपर्युक्त निदेशों के साथ खारिज की जाती हैं।

न्यायाधीश (मदन बी. लोकुर)

न्यायाधीश (दीपक गुप्ता)

नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2017

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण:यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।